



# कोचीन शिप्यार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरत्न कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

रिक्ति अधिसूचना संदर्भ सं. सीएसएल/पीएण्डए/भर्ती/अनुबंध/पो.डि.स./2021/24

दिनांक 18 जनवरी 2022

कोचीन शिप्यार्ड लिमिटेड (सीएसएल), भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनिरत्न कंपनी, नियत अवधि पर अनुबंध के आधार पर पोत डिज़ाइन सहायक के निम्नलिखित पदों केलिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हैं-

## I. पदों का नाम, रिक्तियों की संख्या, आरक्षण, शैक्षिक योग्यता और अनुभव:

| क्र.सं. | पदों का नाम                     | रिक्तियों की संख्या / आरक्षण                       | शैक्षिक योग्यता   | अनुभव  |
|---------|---------------------------------|--|---|--|
| 1       | पोत डिज़ाइन सहायक (मेकानिकल)    | 8 पद<br>( 6 अनारक्षित,<br>1 ईडब्ल्यूएस,<br>1 अ जा) | राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से न्यूनतम 60% अंकों के साथ मेकानिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा।    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• शिप्यार्ड या</li> <li>• इंजीनियरिंग कंपनी या</li> <li>• सरकारी/ अर्ध सरकारी कंपनी/ स्थापना या</li> <li>• निजी डिज़ाइन संस्थान या</li> <li>• वाणिज्यिक संस्थान</li> </ul> <p>में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>ख) ट्रिबॉन में उन्नत दक्षता आवश्यक है।</p> |
| 2       | पोत डिज़ाइन सहायक (इलेक्ट्रिकल) | 4 पद<br>(2 अनारक्षित,<br>2 ईडब्ल्यूएस)             | राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से न्यूनतम 60% अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा। | <ul style="list-style-type: none"> <li>• शिप्यार्ड या</li> <li>• इंजीनियरिंग कंपनी या</li> <li>• सरकारी/ अर्ध सरकारी कंपनी/ स्थापना या</li> <li>• निजी डिज़ाइन संस्थान या</li> <li>• वाणिज्यिक संस्थान</li> </ul> <p>में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>ख) ट्रिबॉन में उन्नत दक्षता आवश्यक है।</p> |



# कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरन्ज कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

| क्र.सं. | पदों का नाम                         | रिक्तियों की संख्या / आरक्षण                       | शैक्षिक योग्यता   | अनुभव   |
|---------|-------------------------------------|--|---|---|
| 3       | पोत डिज़ाइन सहायक (इंस्ट्रूमेंटेशन) | 2 पद<br>(अनारक्षित)                                | राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से न्यूनतम 60% अंकों के साथ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा। | <ul style="list-style-type: none"> <li>• शिपयार्ड या</li> <li>• इंजीनियरिंग कंपनी या</li> <li>• सरकारी/ अर्ध सरकारी कंपनी/ स्थापना या</li> <li>• निजी डिज़ाइन संस्थान या</li> <li>• वाणिज्यिक संस्थान</li> </ul> <p>में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>ख) ट्रिबॉन में उन्नत दक्षता आवश्यक है।</p> |
| कुल     |                                     | <b>14 पद (10 अनारक्षित, 3 ईडब्ल्यूएस, 1 अ जा)*</b> |   |   |

\*उपरोक्त 14 पदों में से 1 पद बैंचमार्क दिव्यांगजन व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) केलिए निर्धारित किए गए हैं। पहचाने गए पदों और श्रेणियों केलिए विस्तृत शारीरिक आवश्यकताएं खंड VI (बी) में हैं।

## II. अनुबंध की अवधि:

उपर्युक्त सभी पदों का स्वरूप अस्थायी होगा और इसकी अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी और यह परियोजना की आवश्यकताओं और व्यक्तिगत निष्पादन के आधार पर होगी।

## III. पारिश्रमिक:

पदों केलिए पारिश्रमिक विवरण निम्नानुसार है :

| ठेके की अवधि | समेकित वेतन (प्रति महीने) | कार्य के अतिरिक्त घंटे केलिए मुआवज़ा (प्रति महीने) |
|--------------|---------------------------|--|
| प्रथम वर्ष   | ₹ 24400/-                 | ₹ 5100/-   |
| द्वितीय वर्ष | ₹ 25100/-                 | ₹ 5200/-   |
| तृतीय वर्ष   | ₹ 25900/-                 | ₹ 5400/-   |

## IV. आयु:

क) पदों केलिए आयु दि. 05 फरवरी 2022 को 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए यानी आवेदकों का जन्म 06 फरवरी 1992 को या उसके बाद होना चाहिए। आरक्षित पदों पर अ जा आवेदकों केलिए अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी।



# कोचीन शिप्यार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्घम

एक मिनिरन्ज कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

छ) बैंचमार्क दिव्यांगजन व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु में छूट भारत सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार दी जाएगी। फिर भी, किसी भी मामले में, आयु में सभी छूट देने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक न हो।

## V. चयन की रीतः

- क) ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा कोच्ची में या केरल में किसी भी स्थान पर सीएसएल द्वारा तय किए गए अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र का आवंटन सीएसएल के विवेकाधिकार पर होगा।
- ख) वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा के दो भाग हैं- सामान्य ज्ञान (भाग क) और विषय आधारित (भाग ख)। भाग क में सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, तर्क और मात्रात्मक योग्यता शामिल हैं। प्रश्न पत्र के पैटर्न, प्रश्नों की संख्या और अंकों का आंवटन नीचे दिया जाता है:

| प्रत्येक भागों में प्रश्नों की संख्या/ प्रति भाग अंक * |                  |      |                    |             | ऑनलाइन परीक्षा के लिए कुल प्रश्न / अधिकतम अंक | ऑनलाइन परीक्षा के लिए अधिकतम अवधि |
|--|------------------|------|--------------------|-------------|---|-----------------------------------|
| सामान्य ज्ञान  | सामान्य अंग्रेजी | तर्क | मात्रात्मक योग्यता | शाखा संबंधी |   |                                   |
| 5  | 5                | 5    | 5                  | 30          | 50  | 60 मिनट                           |

\* हर एक प्रश्न के लिए एक अंक होगा। नेगटीव अंक नहीं होगा।

ग) हर एक पद के लिए चरण -I (वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा) में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अगर एक से अधिक उम्मीदवारों को समान अंक प्राप्त होता है तो, चरण -I (वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा) के विषय भाग में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची के क्रम को निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद टाई के मामले में, उम्र की वरिष्ठता के आधार पर संबंधित योग्यता तय की जाएगी।

घ) चरण -I (वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा) में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को अधिसूचित पदों के योग्यता/ आरक्षण के क्रम में प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। ऐसी श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों में विभिन्न श्रेणियों के लिए चरण -I (वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा) के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निम्नानुसार हैं:

- (i) सामान्य उम्मीदवार - वस्तुनिष्ठ परीक्षा के कुल अंकों का 50 %
- (ii) अ.जा. उम्मीदवार - वस्तुनिष्ठ परीक्षा के कुल अंकों का 40 %



# कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरन्ज कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मन्त्रालय

- ड) एक पद केलिए 6 उम्मीदवारों के अनुपात में लघुसूची तैयार की जाएगी। ऐसी लघुसूची केलिए, मेरिट सूची में आरक्षित उम्मीदवारों की गणना योग्यता के साथ- साथ आरक्षण पद के सामने की जाएगी।
- च) केवल प्रमाणपत्र सत्यापन को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को ही चरण - II (प्रायोगिक परीक्षा) में भाग लेने केलिए सूचीगत किया जाएगा।
- छ) चरण - II (प्रायोगिक परीक्षा) केलिए, उम्मीदवारों को सीएडी का उपयोग करके एक ड्राइंग तैयार करना है। चरण - II (प्रायोगिक परीक्षा) सीएसएल, कोच्ची में आयोजित किया जाएगा।
- ज) चरण - II (प्रायोगिक परीक्षा) में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशतक अंक पर आधारित होंगे। प्रतिशतक अंक उन सभी से संबंधित निष्पादन के आधार का अंक होता हैं जो परीक्षा में शामिल होते हैं। उच्च निष्पादन करने वाले को 30 अंक मिलेंगे। चरण - II (प्रायोगिक परीक्षा) केलिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 33.33 प्रतिशत है।
- झ) अंतिम चयन केलिए रेंक सूची तैयार करने केलिए निम्नलिखित मापदंडों को अंक दिए गए हैं :-

|      |   |                 |
|------|---|-----------------|
| i.   | डिप्लोमा अंक                                  | : 20 अंक        |
| ii.  | चरण - I (वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा) | : 50 अंक        |
| iii. | चरण - II (प्रायोगिक परीक्षा)                  | : <u>30</u> अंक |
|      | कुल   | : 100 अंक       |

- ज) अगर एक से अधिक उम्मीदवारों को समान अंक प्राप्त होता है तो, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के विषय भाग में प्राप्त अंकों के आधार पर रेंक सूची के क्रम को निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद टाई के मामले में, उम्र की वरिष्ठता के आधार पर संबंधित योग्यता तय की जाएगी।
- ट) प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर, विभिन्न पदों केलिए आवेदनों की जांच करने और ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में आवेदकों द्वारा अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों के माध्यम से निर्धारित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर उम्मीदवारों की लघुसूची तैयार करने का अधिकार सीएसएल पर निर्भर है और केवल ऐसे लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है।

## VI. शर्तें :

### (क) आरक्षण :

- (i) अजा/ अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/ ईएसएम उम्मीदवारों केलिए लागू आरक्षण पर भारत सरकार के निदेशों को योग्यता आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन लागू करेंगे।



# कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरन्ज कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मन्त्रालय

- (ii) अ.जा. से संबंधित आवेदक, आरक्षित व्यक्तियों के सामने आवेदन करने के लिए राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी वैध अद्यतन समुदाय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो तहसीलदार की पदवी से कम न हो, ऐसे न करने पर आरक्षित पदों पर उनकी उम्मीदवारी पर और श्रेणियों के लिए लागू अन्य रियायतों/छूट के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- (iii) ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को किसी भी निम्न प्राधिकारी द्वारा जारी वैध आय और संपत्ति प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह प्रमाणपत्र ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा, जिसे चूकने पर उनकी उम्मीदवारी को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण की ओर नहीं माना जाएगा :-
- जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/ उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/ तालुक मजिस्ट्रेट/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
  - मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
  - राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का ना हो
  - उप-विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां उम्मीदवार और/ या उसका परिवार सामान्यतया रहता हो।
- (iv) बैचमार्क अशक्त व्यक्तियों के मामले में दिव्यांगजन की मात्रा न्यूनतम 40% होना चाहिए। दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2017 के अनुसार, उम्मीदवारों के पास दिव्यांगजन के प्रमाण में भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकरण से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त वैध अशक्तता प्रमाणपत्र होना चाहिए।

## ख) पदों के लिए बैचमार्क दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) उम्मीदवारों के लिए शारीरिक योग्यता :

| क्र. सं | पद का नाम  | दिनांक 15.01.2018 के डीओपीटी का.ज्ञा. सं. 36035/02/2017 के खंड 2.2 के अनुसार बैचमार्क दिव्यांगजन की श्रेणियां (पीडब्ल्यूबीडी) | शारीरिक आवश्यकताएं  |
|---------|--|---|---|
| (i)     | अनुबंध के आधार पर पोत डिज़ाइन सहायक (मेकानिकल)       | खण्ड 2.2 (ख, ग और ड) के अधीन पीडब्ल्यूबीडी की श्रेणी  | एस, एसटी, डब्ल्यू, बीएन, पीपी, एल, केसी, एमएफ, एसई, आरडब्ल्यू, एच |
| (ii)    | अनुबंध के आधार पर पोत डिज़ाइन सहायक (इलेक्ट्रिकल)    | खण्ड 2.2 (ख, ग और ड) के अधीन पीडब्ल्यूबीडी की श्रेणी  | एस, एसटी, डब्ल्यू, बीएन, पीपी, एल, केसी, एमएफ, एसई, आरडब्ल्यू, एच |
| (iii)   | अनुबंध के आधार पर पोत डिज़ाइन सहायक (इंस्ट्रमेंटेशन) | खण्ड 2.2 (ख और ग) के अधीन पीडब्ल्यूबीडी की श्रेणी   | एस, एसटी, डब्ल्यू, बीएन, एल, पीपी, केसी, एमएफ, एसई, आरडब्ल्यू, सी |



# कोचीन शिप्यार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरन्ज कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मन्त्रालय

डीओपीटी का.ज्ञा. 36035/02/2017- स्था (आरईएस) दि. 15.01.2018 में पीडब्ल्यूबीडी के श्रेणियों केलिए विवरण का संदर्भ लें। (कैरियर पृ.)

**संक्षेप में उपयुक्त:** एस- बैठना, एसटी- खड़ा होना, डब्ल्यू- चलना, बीएन- झुकना, एल- उठाना, केसी- नीलिंग और झुकाव, जेयू- कूदना, पीपी- खींचना और दबाना, एमएफ- उंगली चलाना, आरडब्ल्यू- पढ़ना और लिखना, एसई- देखना, एच- सुनना, सी- कम्यूनिकेशन।

## (ग) योग्यता

- सभी पदों केलिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता उचित सांविधिक प्राधिकरण या राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या परीक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।
- जिन आवेदकों के पास निर्धारित योग्यताओं में से किसी के समतुल्य योग्यता है वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी तुल्यता प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत होना चाहिए। ऐसे प्रमाणपत्र के बिना, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं की जाएगी।
- सभी पदों केलिए, निर्धारित योग्यता के बिना आवेदक, लेकिन उच्च योग्यता जैसे बी.टेक, एमएससी आदि होने पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आवेदकों को पदों केलिए प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में योग्यता परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंको के ठीक प्रतिशत को भरना आवश्यक है। कुछ विश्वविद्यालय/ संस्थान / परीक्षा बोर्ड श्रेणी या अंक की प्रतिशतता न देकर कुल ग्रेड पोइन्ट (उदा : सीजीपीए / ओजीपीए/ सीपीआई आदि) देते हैं। विश्वविद्यालय/संस्थान/ परीक्षा बोर्ड उम्मीदवारों की अंक सूची में कुल ग्रेड पोइन्ट की श्रेणी और /या अंक की प्रतिशतता के परिवर्तन के लिए मानक निर्धारित करने के मामले में वही स्वीकार किया जाएगा। फिर भी जहाँ विश्वविद्यालय/संस्थान/ परीक्षा बोर्ड कुल ग्रेड पोइन्ट की श्रेणी और /या अंक की प्रतिशतता के परिवर्तन के लिए मानक प्रदान की गई नहीं है, अपेक्षित अंक की प्रतिशतता प्राप्त करने के लिए कुल ग्रेड पोइन्ट को 10 से गुणा किया जाएगा।

## (घ) अनुभव

- केवल उपर्युक्त मद ' I ' में निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण होने के बाद प्राप्त किए अनुभव पर ही विचार किया जाएगा। अनुभव के पूर्व योग्यता की अवधि दि 05 फरवरी 2022 से गिना जाएगा।
- शिक्षु अधिनियम 1961 के तहत उचित शाखा में शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि को अनुभव के रूप में माना जाएगा। पारिश्रमिक के साथ किसी भी प्रशिक्षण को भी अनुभव के रूप में माना जाएगा।
- केवल कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत कंपनियों या समस्थिति के विदेशी कंपनियों से प्राप्त अनुभव प्रमाणपत्र मिलने पर ही चयन में भाग लेने केलिए सूचीबद्ध करने हेतु विचार किया जाएगा।



# कोचीन शिप्यार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्घाटन

एक मिनिरन्जन कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- (iv) आवेदक जो वर्तमान रूप में किसी कंपनी (निजी/ सार्वजनिक/ सरकार) में काम कर रहे हैं, वे अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में, संगठन द्वारा जारी नियुक्ति / प्रस्ताव पत्र की प्रति, कार्य अनुभव के सबूत के रूप में हाल के वेतन पर्ची / अंतिम वेतन पर्ची की प्रति प्रस्तुत करना चाहिए। पिछले रोज़गार केलिए, कार्यभार ग्रहण करने और कार्यमुक्ति की तिथि को सूचित करते हुए अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रमाणपत्र सत्यापन के समय, उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में बताए अनुभव को स्थापित करने केलिए सभी मूल प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत किया जाना है, असफल होने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी और आगे के चयन केलिए विचार नहीं किया जाएगा।
- (v) भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से जुड़े उम्मीदवार के मामले में, उन्हें सशस्त्र बल से कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र /बुक/ पेशन भुगतान आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत करना है। जिन भूतपूर्व सैनिकों ने अपने कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र/बुक में डिग्री अनुलेखित किया है, उन्हें सशस्त्र बलों में संबंधित ट्रेड में काम करने का अनुभव होना चाहिए। डिग्री के समतुल्यता दावा करनेवाले भूतपूर्व सैनिकों को समतुल्यता प्रमाणपत्र या प्राधिकार (भारत सरकार द्वारा जारी आदेश का संदर्भ लें) के साथ कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र में उसी का पृष्ठांकन प्रस्तुत करना है, अनुभव के प्रमाण के रूप में, सशस्त्र बलों में संगत शाखा में योग्यता और कार्य अनुभव सूचित करने संबंधित प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करना चाहिए, इसे प्रमाणपत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत करना है। उन्हें संबंधित अधिकारियों से अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना है, जिसके प्रस्तुत करने में चूक होने पर उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (vi) पंजीकृत कंपनियों द्वारा लगाए गए ठेकेदारों (मालिकाना फर्मों और साझेदारी फर्मों) से प्राप्त कार्य अनुभव, ठेकेदार द्वारा जारी प्रमाणपत्र पर मुख्य नियोक्ता के पृष्ठांकन के आधार पर विचार किया जाएगा। ऐसे आवेदकों को अनुभव प्रमाणपत्रों के साथ ईएसआई/ ईपीएफ ब्यौरा जैसे प्रमाण अपलॉड करने की आवश्यकता है। मुख्य नियोक्ता के पृष्ठांकन के बिना ठेकेदारों द्वारा जारी प्रशिक्षण के प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (vii) आवेदक जो इस रिक्ति अधिसूचना की तारीख के अनुसार सीएसएल के रोल पर अनुबंध के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी अन्य सभी अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आवेदन करने के पात्र हैं। जो लोग अनुबंध के पहले और दूसरे वर्ष में हैं, वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

## ड) आवेदन शुल्क :

- ऑनलाइन भुगतान विकल्प (डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग/ वॉलेट/ यूपीआई आदि) का प्रयोग करते हुए 300/- रुपए (नावापसी, बैंक चार्ज सहित) का आवेदन शुल्क दिनांक 19 जनवरी 2022 से 05 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से प्रेषित किया जाना चाहिए। भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- अ जा/ अ ज जा/बैचमार्क दिव्यांगजन व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) से जुड़े उम्मीदवारों केलिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। उन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।



# कोचीन शिप्यार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरन्ज कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मन्त्रालय

iii) सभी आवेदक जिन्हें आवेदन शुल्क लागू है, अर्थात् अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/ पीडब्ल्यूबीडी को छोड़कर, उपर्युक्त खंड घ (i) में निर्धारितानुसार भुगतान करना चाहिए। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि केवल आवेदन शुल्क की रसीद पर ही उम्मीदवारी विचार की जाएगी ।

## च) आवेदन कैसे करें :

- i) आवेदक वेबसाइट [www.cochinshipyard.in](http://www.cochinshipyard.in) (कैरियर पृष्ठ) पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन के लिंक से आगे बढ़े। आवेदन में दो चरण है- पंजीकरण और आवेदन प्रस्तुत करना। आवेदकों को एक ही पद केलिए एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। एक बार प्रस्तुत किया आवेदन अंतिम होगा।
- ii) अधिसूचित अपेक्षाओं को पूरा करने वाले आवेदक ऑनलाइन आवेदन पृष्ठ को पढ़ सकते हैं, पंजीकरण पूरा कर सकते हैं और दिनांक 19 जनवरी 2022 से ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और यह सुविधा हमारे वेबसाइट [www.cochinshipyard.in](http://www.cochinshipyard.in) (कैरियर पृष्ठ) के ज़रिए प्राप्त किया जा सकता है। सीधे या अन्य किसी प्रकार में प्रस्तुत आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
- iii) आवेदक यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रविष्टियाँ सही रूप में भरा गया है और आवेदन सफल रूप से प्रस्तुत किया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद आवेदन में दिए गए डेटा में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी भाग में बेकार विवरणों को प्रस्तुत करना आपका आवेदन अस्वीकार करने का कारण बन सकता है।
- iv) विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार सभी मामलों में आवेदन प्रपत्र पूर्ण होना चाहिए । कृपया ध्यान दें कि अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा ।
- v) ऑनलाइन के ज़रिए आवेदन करने के बाद, आवेदक अपने संदर्भ केलिए सिस्टम द्वारा प्रजनित एकमात्र पंजीकरण संख्या के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र का एक सॉफ्ट कॉपी/ प्रिंटआउट लें। इस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन आवेदन सफल रूप में प्रस्तुत करने पर ही एकमात्र पंजीकरण संख्या प्राप्त किया जाएगा । ऑनलाइन आवेदन के पंजीकृत संख्या को सीएसएल के साथ पत्राचार के समय दिखाना चाहिए।
- vi) आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति/ प्रमाणपत्र/डीडी/चालान/चेक के रूप में आवेदन शुल्क आदि डाक द्वारा कोचीन शिप्यार्ड लिमिटेड को अग्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है ।
- vii) एसएपी ऑनलाइन आवेदन सुविधा के ज़रिए आवेदन देने केलिए दिनांक 19 जनवरी 2022 से वेबसाइट प्रकार्यात्मक रहेगा और ऑनलाइन के ज़रिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 05 फरवरी 2022 है। अंतिम तिथि पर वेबसाइट में भारी भीड़ दूर करने केलिए, जो आवेदन की गैर - प्रस्तुति केलिए कारण हो सकता है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि सीएसएल वेबसाइट में लॉग इन करें और अंतिम तिथि से पहले ही आवेदनों को प्रस्तुत करें। आवेदन की अंतिम तिथि पर आवेदन करने वालों को अंतिम तिथि



# कोचीन शिप्यार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरन्ज कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मन्त्रालय

को 1600 बजे के बाद ईमेल/फोन द्वारा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में कोई समस्या निवारण सहायता/ तकनीकी सहायता नहीं मिल सकती है।

## (छ) सामान्यः

- (i) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रस्तुत करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि सभी पदों केलिए रिक्त अधिसूचना के अनुसार योग्यता अपेक्षाएँ रखते हैं।
  - (ii) भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा :- भूतपूर्व सैनिक वह व्यक्ति है
    - (क) जिसने भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना में नियमित या गैर योद्धा के रूप में किसी भी रैंक में सेवा की है, और
      - (i) जो या तो सेवानिवृत्त हो गया है या इस तरह की सेवा से अपने स्वयं के अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा अपनी पेंशन अर्जित करने के बाद कार्य मुक्त या सेवा मुक्त राहत हो गया हो; या
      - (ii) जो अपने नियंत्रण से परे सैन्य सेवा या परिस्थिति के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त हो गया है और उसे चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन से सम्मानित किया गया है; या
      - (iii) जो स्थापना में कर्मी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है;
    - (ख) जो कार्य की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है, अन्यथा उसके अनुरोध पर, या बर्खास्तगी के माध्यम से, या कदाचार या अक्षमता के कारण निर्वहन किया गया है और उसे उपदान दी गई है; और प्रादेशिक सेना के कर्मियों, अर्थात् निरंतर सन्निहित सेवा केलिए पेंशन धारक या अर्हकारी सेवा की खंडित अवधि शामिल है; या
  - (ग) डाक सेवा सेना के कर्मी जो नियमित सेना के हिस्सा हैं और डाक सेवा सेना से सेवानिवृत्त हैं, पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा से परावर्तन के बिना डाक सेवा सेना से मुक्त कर दिए गए हैं या उनके नियंत्रण से परे सैन्य सेवा या परिस्थितियों के कारण या बढ़े हुए चिकित्सा आधार पर सेना के डाक सेवा सेना से मुक्त किए जाते हैं या अन्य विकलांगता पेंशन से सम्मानित किया गया हो;/ या
  - (घ) कर्मिकों, जो दिनांक 14 अप्रैल, 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक डाक सेवा सेना में प्रतिनियुक्ति पर थे; या
  - (ङ) प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेताओं; या
  - (च) पूर्व सैनिक जो चिकित्सा के आधार पर भर्ती या मुक्त किए गए हो और चिकित्सा विकलांगता पेंशन प्राप्त हो।
- (iii) शिप्यार्ड को उनके आवेदन प्रपत्र में सूचितानुसार शैक्षिक योग्यता/अनुभव/अन्य अधिसूचित योग्यता अपेक्षाओं के सबूत में उम्मीदवारों से अन्य कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ी सबूत मांगने का अधिकार है, और ऐसे प्रश्नों की सूचना एवं उत्तर ई-मेल [career@cochinshipyard.in](mailto:career@cochinshipyard.in) द्वारा होना चाहिए। फिर भी, कोचीन शिप्यार्ड निर्धारित तिथि एवं समय पर ऐसे ई-मेलों की किसी देरी/ गैर-प्राप्ति केलिए उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसे प्रश्नों के उत्तर निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने पर, उस पर विचार नहीं किया जाएगा, और आगे कोई पत्राचार इस संबंध में प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।



# कोचीन शिप्यार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरन्ज कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मन्त्रालय

- (iv) लघुसूचीगत उम्मीदवारों के मूल प्रमाणपत्रों को शामिल होने के समय या सीएसएल द्वारा तय किए गए किसी अन्य चरण में फिर से सत्यापित किया जाएगा। उम्मीदवारी पूर्ण रूप से अस्थायी है जो आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगजता आदि के प्रमाण में मूल प्रमाणपत्रों के सत्यापन और अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन है। प्रमाणपत्र सत्यापन/ शामिल होने के समय, यदि लघुसूचीगत उम्मीदवार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, या किसी भी स्तर पर प्रमाणपत्र का मूल प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, या यह पाया जाता है कि उम्मीदवारों द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत झूठा है, तो उम्मीदवार को चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा और उम्मीदवारी, बिना किसी सूचना के रद्द / अस्वीकार की जाएगी।
- (v) अपात्रता के मामले में उम्मीदवारी के निरसन के संबन्ध में पत्राचार पर नहीं विचार किया जाएगा।
- (vi) बुलावा पत्रों को डाक द्वारा लघुसूचीगत उम्मीदवारों को नहीं भेज दिया जाएगा। उन्हें ईमेल/सीएसएल वेबसाइट [www.cochinshipyard.in](http://www.cochinshipyard.in) द्वारा बुलावा पत्र डाउनलॉड करने के लिए सूचित किया जाएगा। चयन की अनुसूची ईमेल/ सीएसएल वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ) के माध्यम से लघुसूचीगत आवेदकों को सूचित की जाएगी। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि चयन से संबंधित अद्यतन के लिए उपरोक्त वेबसाइट के (कैरियर पृष्ठ) को बारंबार देखें।
- (vii) उम्मीदवार को चयन में भाग लेने हेतु यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता नहीं दी जाएगी।
- (viii) केवल ऑनलाइन आवेदन की प्रस्तुति और बुलावा पत्र की जारी और चयन परीक्षाओं में उपस्थिति उम्मीदवार को उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं देगा या पात्रता मानदंड पूरा करने की अधिस्वीकृति के रूप में अनुमान नहीं किया जा सकेगा।
- (ix) रिक्तियां पूर्ण रूप से एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अनुबंध आधार पर हैं और टेके की अवधि के दौरान या समाप्ति के बाद में चयनित उम्मीदवार को रोज़गार देने हेतु शिप्यार्ड उत्तरदायी नहीं होगा।
- (x) नियुक्ति के लिए लघुसूचीगत उम्मीदवार को सीएसएल द्वारा निर्धारित अस्पतालों में चिकित्सा जांच करना होगा। ऐसी चिकित्सा जांचों की रिपोर्ट सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच किया जाएगा और सभी उम्मीदवारों की नियुक्ति सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा योग्यता के प्रमाणन करने के अधीन है।
- (xi) सीएसएल सरकारी/ सार्वजनिक उद्यमों में पहले ही कार्यरत किसी उम्मीदवार के पिछले रोज़गार के वेतन/ छुट्टी वेतन/ उपदान/ पेंशन अंशदान आदि के कारण किसी देयता को नहीं संभालेगा।
- (xii) सभी पदों हेतु रेंक सूचियों को बनाए रखा जाएगा और रेंक सूची की वैधता अवधि के दौरान रिक्ति होने की स्थिति में ही संचालित किया जाएगा। प्रतीक्षा सूची की वैधता अंतिम उम्मीदवार की रिपोर्टिंग की तारीख से 18 महीने तक होगी, जब तक कि उसी पद के लिए नई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है, जब



# कोचीन शिप्यार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरन्ज कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

तक कि परिणाम के प्रकाशन प शामिल होने की सलाह दी जाती है। ऊपर बताई गई रिक्ति को एक ताजा रिक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

- (xiii) अनुच्छेद I में दर्शाए गए पदों की संख्या वर्तमान आवश्यकता पर आधारित है और परियोजना की आवश्यकताओं के आधार पर अलग-अलग होगी। रेंक सूची की वैधता अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को शिप्यार्ड के विवेकाधिकार पर मौजूदा रेंक सूची से भरा जाएगा।
- (xiv) उपरोक्त या किसी अन्य शर्तों के बावजूद कोचीन शिप्यार्ड को अधिसूचित रिक्तियां न भरने का भी अधिकार होगा। इसके अलावा अधिसूचित रिक्तियों को भरने हेतु रेंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और नौकरी की आवश्यकताओं के अधीन किया जाएगा। सीएसएल को यदि अपेक्षित है तो, सूचना के बिना अथवा उसके लिए कोई भी कारण नियत किए बिना भर्ती प्रक्रियाएं सीमित करने / बदलने/ रद्द करने / परिवर्तन करने का अधिकार है।
- (xv) यदि किसी स्थिति में, कोई सूचित कार्य असत्य/ गलत पाया गया या उम्मीदवार योग्यता अपेक्षाओं को पूरा न करते हैं तो, बिना सूचना के उम्मीदवारी / नियुक्ति, रद्द/ अस्वीकृत की जाएगी।
- (xvi) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेजों को परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि केलिए संरक्षित किया जाएगा।
- (xvii) इस विज्ञापन से व्युत्पन्न किसी दावा अथवा विवाद के संबन्ध में किसी वैध कार्रवाई और/अथवा इस संबन्ध में आवेदन के बल एर्णाकुलम में अधिकार क्षेत्र होने वाले न्यायालय/ट्रिब्यूनल/मंच में संस्थापित कर सकता है और ऐसे न्यायालय व प्राधिकरण को एकमात्र तथा विशिष्ट अधिकार क्षेत्र होगा।
- (xviii) विज्ञापन में कोई आशोधन, संशोधन अथवा परिवर्तन केवल सीएसएल वेबसाइट में ही दी जाएगी।
- (xix) अन्य कोई स्पष्टीकरण केलिए, कृपया ई-मेल [career@cochinshipyard.in](mailto:career@cochinshipyard.in) के जरिए संपर्क करें।

## VII. महत्वपूर्ण तिथियाँ:

|                            |   |               |
|----------------------------|---|---------------|
| ऑनलाइन आवेदन का प्रारंभ    | : | 19 जनवरी 2022 |
| ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि | : | 05 फरवरी 2022 |

“किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।”  
“केवल भारतवासी ही आवेदन करें।”

ह/-  
महाप्रबंधक (मा.सं.)